(5)

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 82/2018 (अपील)

GCMS No. 2018/00366

विजय जेमन आत्मज आर.पी. जेमन जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर–9/48, 9/49 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा, जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये क्षैत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा कोटा (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 25.05.2018 मि0नं0 4/2017 न्यायालय सहा0 वन संरक्षक वन मण्डल कोटा

उपस्थिति

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–20.04.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा द्वारा ग्राम आवंली रोझड़ी में रकबा 0.008892 हे0 वन भूमि में अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 4/2017 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली कर भूमि राजतहवील में लेने के आदेश एवं 2100/– जुर्माना तथा 15 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 25.05.2018 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 20.11.2018 को पेश की गई है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की पत्नि द्वारा खरीदशुदा मकान नम्बर 9/48, 9/49 पर रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी अधिकार एवं स्वत्व के अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट एवं धारा –22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही 15 दिन के सिविल कारावास एवं 2100/– रूपये जुर्माना राशि से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वर्णित मकान की भूमि अपीलान्ट की पत्नि श्रीमति नीतू शर्मा उर्फ नीतू जैमन द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा द्वारा आवंटित दस्तावेज व पंजीकृत दस्तावेजात के आधार पर दिनांक 24.3.2011 पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदा तथा बाद विक्रय पत्र अपीलान्ट की पत्नि बहैसियत मालिक खरीदशुदा मकान का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है । उक्त सभी दस्तावेजात अपीलान्ट द्वारा मय जवाब प्रस्तुत करने के बाद भी गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना अपीलान्ट को अतिक्रमी होना मान लिया

जिला कलेक्टर
कोटा

जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट की किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है । अपीलान्ट को जवाबदेही बाद कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का आश्वासन को कहा जिस पर अपीलान्ट निश्चिन्त हो गया । दिनांक 14.11.2011 को थाना आर.के.पुरम से पुलिस वाले आने पर तथा उनके बताने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई, तत्पश्चात न्यायालय में उपस्थित होकर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर नकल दिनांक 19.11.2018 को प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की पत्नि द्वारा खरीदशुदा मकान नम्बर 9/68, 9/49 पर रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी अधिकार एवं स्वत्व के अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट एवं धारा –22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही 15 दिन के सिविल कारावास एवं 2100/– रूपये जुर्माना राशि से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया वर्णित मकान की भूमि अपीलान्ट की पत्नि श्रीमति नीतू शर्मा उर्फ नीतू जैमन द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा द्वारा आवंटित दस्तावेज व पंजीकृत दस्तावेजात के आधार पर दिनांक 24.3.2011 पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदा तथा बाद विक्रय पत्र अपीलान्ट की पत्नि बहैसियत मालिक खरीदशुदा मकान का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है । उक्त सभी दस्तावेजात अपीलान्ट द्वारा मय जवाब प्रस्तुत करने के बाद भी गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना अपीलान्ट को अतिक्रमी होना मान लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है ।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अतिक्रमी अपीलान्ट द्वारा ग्राम आवंली रोझड़ी में वन विभाग की भूमि ख0नं0 22 रकबा 0.008892 पर अतिक्रमण किया जाने पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है । उक्त अतिक्रमित भूमि जी.पी.एस नम्बर मय मकान की फोटो ग्राफ के आधार पर जमाबन्दी में खसरा नम्बर 22 है एवं खसरा नम्बर 22 की विज्ञाप्ति क्रमांक 62 वर्ष 1962 से वन विभाग के नाम नोटिफाईड है । अतिक्रमी द्वारा वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही उचित है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उपस्थित अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 20.11 2018 को लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो विलम्ब से पेश है, अपीलान्ट द्वारा विलम्ब से पेश करने के कारण लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2018 की प्रथम जानकारी दिनांक 14.11.2018 को थाना आर.के.पुरम पुलिस वाले आने पर तथा उनके बताने पर उक्त आदेश की जानकारी होना बताया है । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब को माफ करने का कोई ठोस कारण तो नहीं बताया है किन्तु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए हम इस अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

7. ग्राम आवंली रोझड़ी में अपीलांट के मकान नम्बर 9/48 व 9/49 रकबा 0.008892 हे0 वन विभाग की भूमि मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है । उक्त विवादित मकान की भूमि अपने पत्रांक/61 दिनांक 11.01.2021 से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 22 होना बताया है जबकि जैर अपील आदेश दिनांक 25.5.2018 मि0नं0 4/2017 में खसरा नम्बरान का उल्लेख नहीं किया गया है । वकील अपीलांट के तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से हम आंशिकरूप से सहमत है कि जब भूमि वन विभाग की थी तो आवासन मण्डल द्वारा अपीलान्ट की पत्नि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आवंटन क्यों किया गया । वन विभाग की भूमि पर आवासन मण्डल का कोई अधिकार नहीं होता है । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश जैर अपील में खसरा नम्बरान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है न ही क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बरान का कोई उल्लेख किया है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी आदि भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद नहीं है जिसमें उक्त विवादित भूमि वन विभाग के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक/61 दिनांक 11.01.2021 से प्रस्तुत रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई जिसमें उक्त विवादित मकान वन विभाग की भूमि खसरा नम्बर 22 में होना बताया है । वन विभाग द्वारा की गई अतिक्रमण धारा 91 की कार्यवाही में पारित आदेश स्पष्ट नहीं होने से प्रकरण में पुनः मौके एवं रेकार्ड की जांच कर नवीन आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

8. परिणामतः अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.5.2018 से दिये गये दण्ड सिविल कारावास की सजा एवं जुर्माने का दण्ड सशर्त निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में पुनः मौके एवं रेकार्ड की जांच कर न्याय की दृष्टि से अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावें, तथा आवासन मण्डल से भी इस बाबत स्पष्ट रिपोर्ट ली जावें कि उनके द्वारा किस भूमि का विक्रय किस आधार पर अपीलांट की पत्नि को किया गया है । जांच के दौरान राजस्व विभाग एवं आवासन मण्डल का भी सहयोग लिया जावें । यदि जांच में उपरोक्त भूमि वन विभाग की नहीं पाई जाती है तो आदेश दिनांक 25.5.2018 से दिये गये दण्ड निरस्त किये जाते है । इसके विपरीत भूमि वन विभाग की होने की स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.5.2018 यथावत रहेगा ।

9. निर्णय आज दिनांक 20.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा